रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12032026-270868
SG-DL-E-12032026-270868

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]	दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 2026/फाल्गुन 19, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 496
No. 76]	DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2026/PHALGUNA 19, 1947	[N. C. T. D. No. 496

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 मार्च, 2026

फा. सं. 29778/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/2025–26/17584—जबकि, डीपीटीए ई–फोरेस्ट पोर्टल पर वृक्ष अधिकारी (पश्चिमवन प्रभाग) को श्री विशाल कुमार, कार्यकारी अभियंता, (सीवीपीडी)–1, सीपीडब्ल्यूडी, ए–204, आई.पी. भवन, नई दिल्लीसे एक आवेदन आईडी संख्या 29778 प्राप्त हुआ था, जिसमें दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) (तत्पश्चात् डीपीटीए, 1994 के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत कॉमन केंद्रीय सचिवालय भवन 8 और 9, निर्माण भवन और उद्योग भवन, प्लॉट संख्या 23 बी और सी, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली, के निर्माण हेतु 6.727 हेक्टेयर क्षेत्र में 232 वृक्षों के प्रत्यारोपण/कटाई हेतु अनुमति मांगी गई थी।

और जबकि, वृक्ष अधिकारी (पश्चिम वन प्रभाग) ने आवेदन पर समुचित विचारण के पश्चात्, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप–धारा (3) में वृक्ष अधिकारी (पश्चिम वन प्रभाग) द्वारा वृक्ष काटने/प्रत्यारोपण के आवेदन पर विचार करने हेतु अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप–धारा (3) की अनुप्रयोज्यता से दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 धारा 29 के अंतर्गत 6.727 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक–क में विवरणानुसार) के संबंध में छूट मांगी है।

इसलिए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा जनहित में, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 के अंतर्गत कॉमन केंद्रीय सचिवालय भवन 8 और 9, निर्माण भवन और उद्योग भवन, प्लॉट संख्या 23 बी और सी, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली, के निर्माण हेतुउक्त अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (3) के अंतर्गत अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा से 6.727 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक–क में विवरणानुसार) को निम्नलिखित शर्तों के साथ छूट प्रदान करते है :

1) यह अधिसूचना दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अंतर्गत केवल 6.727 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक–क में विवरणानुसार) को दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 के अंतर्गत कॉमन केंद्रीय सचिवालय भवन 8 और 9, निर्माण भवन और उद्योग भवन, प्लॉट संख्या 23 बी और सी, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली, के निर्माण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप–धारा (3) के अंतर्गत अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा से छूट देने हेतु जारी की जा रही है। जैसा कि वृक्ष अधिकारी (पश्चिम वन प्रभाग) द्वारा मांग की गई है।

2) दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अंतर्गत छूट हेतु यह अधिसूचना, किसी भी स्थिति में, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्षों के काटने/प्रत्यारोपण की अनुमति के रूप में नहीं मानी जाएगी।

3) वृक्षों के प्रत्यारोपण/काटने हेतु आवेदन पर वृक्ष अधिकारी (पश्चिम वन प्रभाग) द्वारा दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण नियमावली, 1996 के प्रावधानों, संबंधित दिशा–निर्देशों, इस संबंध में जारी निदेशों तथा समस्त संबंधित न्यायालय आदेशों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से तथा पृथक रूप से विचार किया जाएगा और जांच की जाएगी, जिसमें छूट प्राप्त क्षेत्र के भीतर प्रत्यारोपित/काटे जाने वाले प्रभावित वृक्षों की संख्या को न्यूनतम करने हेतु आवेदन को ध्यान में रखा जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विजय कुमार बिधूड़ी, सचिव (पर्यावरण एवं वन)

अनुलग्नक– क

कॉमन केंद्रीय सचिवालय भवन 8 और 9, निर्माण भवन और उद्योग भवन, प्लॉट संख्या 23 बी और सी, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली, के निर्माण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 (3) के अंतर्गत अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र के सीमांकन से धारा 29 के अंतर्गत छूट प्राप्त क्षेत्र की सीमा का विवरण:-

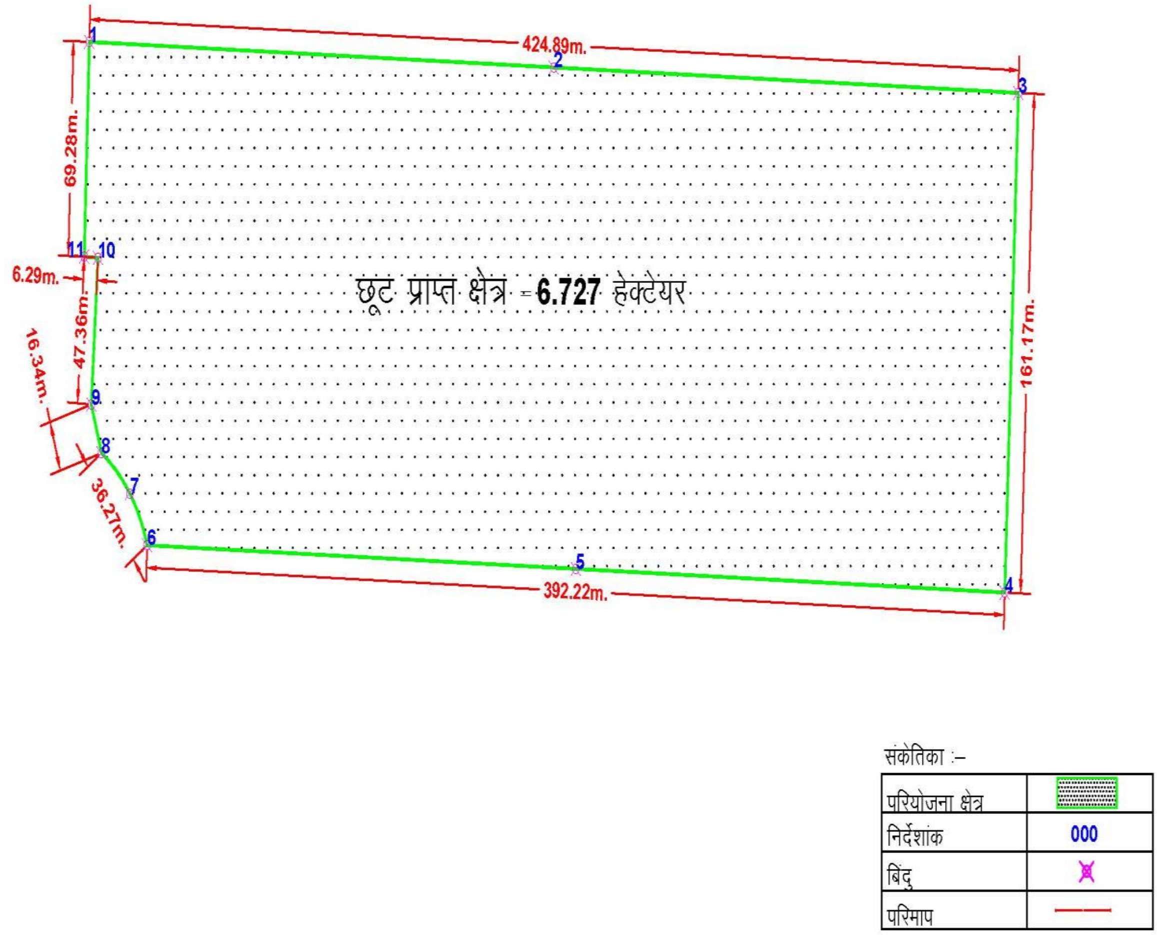

कॉमन केंद्रीय सचिवालय भवन 8 और 9, निर्माण भवन और उद्योग भवन, प्लॉट संख्या 23 बी और सी, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली, के निर्माण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 (3) के अंतर्गत अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा के प्रावधान से धारा 29 के अंतर्गत छूट प्राप्त क्षेत्र की सीमा का विवरण।

क्र. सं.	उत्तर दि"ाा की ओर	पूर्व दि"ाा की ओर	अक्षां"ा	दे"ाान्तर
1	3167014.664	716303.447	28° 36' 43.6715" उ0	77° 12' 44.1618" पू0
2	3167006.446	716515.735	28° 36' 43.2770" उ0	77° 12' 51.9677" पू0
3	3166998.227	716728.023	28° 36' 42.8824" उ0	77° 12' 59.7736" पू0
4	3166837.181	716721.788	28° 36' 37.6569" उ0	77° 12' 59.4343" पू0
5	3166844.805	716525.824	28° 36' 38.0223" उ0	77° 12' 52.2288" पू0
6	3166852.429	716329.86	28° 36' 38.3877" उ0	77° 12' 45.0232" पू0
7	3166869.054	716321.975	28° 36' 38.9322" उ0	77° 12' 44.7444" पू0
8	3166882.123	716309.024	28° 36' 39.3644" उ0	77° 12' 44.2768" पू0
9	3166897.78	716304.341	28° 36' 39.8756" उ0	77° 12' 44.1151" पू0
10	3166945.045	716307.404	28° 36' 41.4085" उ0	77° 12' 44.2600" पू0
11	3166945.459	716301.129	28° 36' 41.4257" उ0	77° 12' 44.0294" पू0
उपभोगीसंस्था द्वारा आवेदन में प्रस्तुत डीडब्लूजी/केएमएल फाइल से डब्ल्यूजीएस–84, यूटीएम–43 का उपयोग करके निर्देशांक पुनः प्राप्त किए गए हैं।				
**छूट प्राप्त क्षेत्र = 6.727 हेक्टेयर				

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 9th March, 2026

F.No.29778/WFD/COT/2025-26/17584**—WHEREAS**, an application ID no. 29778 on DPTA e-Forest portal was received by the Tree Officer (West Forest Division) from Sh.Vishal Kumar, Executive Engineer, (CVPD)-1, CPWD, A-204, I.P Bhawan, New Delhi, for seeking permission under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994) (hereinafter referred to as **DPTA, 1994**) for felling/transplantation of 232 number of trees for Construction of Common Central Secretariat building 8 & 9, Nirman Bhawan & Udyog Bhawan, Plot No.23 B & C, Maulana Azad Road, New Delhi, under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 in an area of 6.727 Ha.

AND WHEREAS, the Tree Officer (West Forest Division) after due application of mind, has sought exemption in respect of 6.727 Ha. area (as per details in Annexure – A) under Section 29 of the DPTA, 1994 from applicability of Section 9 sub-section (3) of the DPTA, 1994, in view of limitation of maximum one hectare area for considering application of tree felling/transplantation by the Tree Officer (West Forest Division) in Section 9 sub-section (3) of the DPTA, 1994.

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the DPTA, 1994, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest, exempts an area of 6.727 Ha. (as per details in Annexure – A), from the limitation of maximum one hectare area under sub-section (3) of Section 9 of the said Act forConstruction of Common Central Secretariat building 8 & 9, Nirman Bhawan & Udyog Bhawan, plot no.23 B & C, Maulana Azad Road, New Delhi, under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 with the following conditions:

1) This notification is being issued under Section 29 of the DPTA, 1994 only to exempt the 6.727 Ha. area (as per details in Annexure – A) from the limitation of maximum one hectare area under sub-section (3) of Section 9 of the DPTA, 1994 for Construction of Common Central Secretariat building 8 & 9, Nirman Bhawan & Udyog Bhawan, Plot No.23 B & C, Maulana Azad Road, New Delhi, under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 as sought by the Tree Officer (West Forest Division).
2) This notification for exemption under Section 29 of the DPTA, 1994, in any case, shall not be considered as permission for felling/transplantation of trees under the DPTA, 1994.

3) The application for felling/transplantation of tress shall be considered and scrutinized independently and separately by the Tree Officer (West Forest Division) under the provisions of the DPTA, 1994, the Delhi Preservation of Trees Rules, 1996, relevant guidelines, directions issued in this regard and all relevant court orders with due application of mind minimizing the number of affected trees to be transplanted from within the exempted area.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

VIJAY KUMAR BIDHURI, Secy. (Environment & Forests)

ANNEXURE-A

Boundary details of the area exempted U/S 29 from limitation of max 1 ha area U/S 9 (3) of Delhi Preservation of Trees Act, 1994, for Construction of Common Central Secretariat building 8 & 9, Nirman Bhawan & Udyog Bhawan, plot no.23 B & C, Maulana Azad Road, New Delhi.

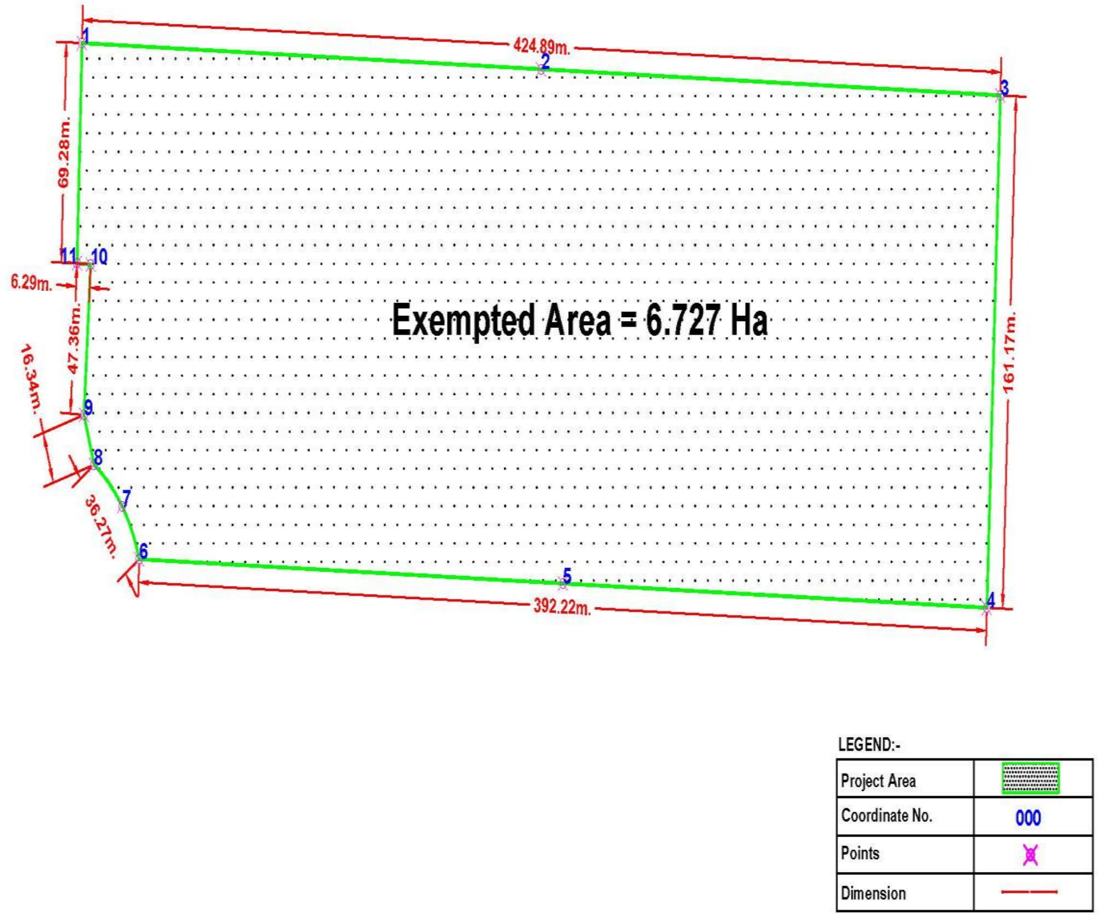

Boundary Details of the Area Exempted U/S 29 from provision of limitation of max 1 ha area U/S 9 (3) Delhi Preservation of Trees Act, 1994, for Construction of Common Central Secretariat building 8 & 9, Nirman Bhawan & Udyog Bhawan, plot no.23 B & C, Maulana Azad Road, New Delhi.

S.NO.	NORTHING	EASTING	LATITUDE	LONGITUDE
1	3167014.664	716303.447	28° 36' 43.6715" N	77° 12' 44.1618" E
2	3167006.446	716515.735	28° 36' 43.2770" N	77° 12' 51.9677" E
3	3166998.227	716728.023	28° 36' 42.8824" N	77° 12' 59.7736" E
4	3166837.181	716721.788	28° 36' 37.6569" N	77° 12' 59.4343" E
5	3166844.805	716525.824	28° 36' 38.0223" N	77° 12' 52.2288" E
6	3166852.429	716329.86	28° 36' 38.3877" N	77° 12' 45.0232" E
7	3166869.054	716321.975	28° 36' 38.9322" N	77° 12' 44.7444" E
8	3166882.123	716309.024	28° 36' 39.3644" N	77° 12' 44.2768" E
9	3166897.78	716304.341	28° 36' 39.8756" N	77° 12' 44.1151" E
10	3166945.045	716307.404	28° 36' 41.4085" N	77° 12' 44.2600" E
11	3166945.459	716301.129	28° 36' 41.4257" N	77° 12' 44.0294" E
Coordinates have been retrieved from DWG/KML file submitted in the application on e-Forest portal by the user agency.				
*Exempted area = **6.727 Ha.**				

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.03.12 14:37:32 +05'30'